12.3.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। P.O. की का पद रिक्त है। पत्रावली दि. 13.5.24 को पेश हो।

(reader)

13.5.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किये जावे कि प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी भूमि मौजा कंपाकुण्डली की खतौनी संवत् 2072 से 2075 के खाता सं. नया 1 एवं पुराना 11 के प्रार्थीगण / वादीगण के संयुक्त खाते के खसरा नं. 41 नामी रोडनवाली मगरी किस्म सुखी द्वि. रकबा 04-07 चार बीघा सात बिस्वा एवं ख. सं. 96 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म राकड़ प्र. लगानी 0-23 कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.02 बीघा कुल लगान 1-97 स्थित है। ऐसे में अप्रार्थीगण को मूल वाद के फैसले तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रा. पत्र पेश नहीं करना चाहा। जवाब बंद किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त आराजी है ऐसे में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि का है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किए जाने पर वाद बहुविधता बढ़ेगी तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

2

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

अतः अप्रार्थीगण को इस बात के लिए पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण की मौजा कंपाकुन्दी में संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी भूमि में किसी प्रकार का काश्त, अतिक्रमण निर्माण, अवरोध पैदा न स्वयं करें न अन्य किसी व्यक्ति से करावें। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा